प्र. सं. - 63/2024 निगरानी

सुवालाल वगैरह v/s ग्रा. पं. बालापुरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.06.2024	पत्रवली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता गैर निगराकर संख्या 02 द्वारा दिनांक 29.05.2024 को पेश प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता निगराकारान को दिलाई। अधिवक्ता निगराकारान द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब व प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं धारा 151 सीपीसी पेश कर पट्टा संख्या 03 की जगह पट्टा संख्या 45 अंकित करने का निवेदन किया गया। जिसकी नकल अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि पूर्व में गैर निगराकर संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पट्टा संख्या 03 पर हुई थी। पत्राव्ली वास्ते आगामी सुनवाई दिनांक 26.06.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर शाहपुरा जिला कलक्टर शाहपुरा	
26.06.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर आया कि पूर्व में पट्टा संख्या 03 था जिसे ओवर राइटिंग करते हुए पट्टा संख्या 45 बनाया गया। प्रकरण में जवाब व बहस भी पट्टा संख्या 03 पर हुई। प्रकरण से संबंधित स्थगन पत्रावली में भी ओवर राइटिंग कर पट्टा संख्या 03 का पट्टा संख्या 45 बनाया गया है एवं प्रकरण में स्थगन भी पट्टा संख्या 45 पर दिया गया। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि यह ओवर राइटिंग कब और किसने की है, यह जांच का विषय है। ओवर राइटिंग के बाद लघु हस्ताक्षर/ cutting attested भी नहीं है।एसे में प्रकरण में कोई भी निर्णय कर पाना दुविधाजनक है। इसलिए प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित होगा। अतः निगराकार की निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 इसी स्तर पर खारिज की जाती है। निगराकारान चाहें तो नये सिरे से निगरानी पेश कर सकते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर शाहपुरा जिला कलक्टर शाहपुरा	